

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

पीठासीन अधिकारी मनोज कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 24/2017

सायल	बनाम	गैर सायल
सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक, नागौर	ताराचंद पुत्र पूसाराम जाति माली निवासी-नया दरवाजा, नागौर पुलिस थाना-कोतवाली, नागौर जिला नागौर।	

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3(3) राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

(1) गैर सायल अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश सेन उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 20-2-20

1-जिला पुलिस अधीक्षक, नागौर ने सहायक लोक अभियोजक नागौर के माध्यम से गैर सायल ताराचंद पुत्र पूसाराम निवासी नया दरवाजा, नागौर के विरुद्ध यह इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3(3) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत पेश कर अवगत करवाया है कि वाकियात इस्तगासा हाजा इस प्रकार है कि ताराचंद पुत्र पूसाराम जाति माली निवासी नया दरवाजा, नागौर पुलिस थाना कोतवाली, नागौर क्षेत्र का आले दर्जे का जुआरी है। जिसकी आम शोहरत खराब है। गैर सायल जुआ सट्टा के विभिन्न प्रकरणों में दण्डित हो रखा है। गैर सायल जुआ सट्टा की गतिविधियों में निरंतर सक्रिय है। जिसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज किये जाकर कानूनी कार्यवाही की गई है। लेकिन अपराधी की गतिविधियों में कोई कमी नहीं आयी है। गैर सायल का इलाका हाजा में स्वच्छंद विचरण करना व निवासरत रहना कतेई उचित नहीं है। इसका इलाका हाजा से निष्कासन किया जाना ही एकमात्र विकल्प है। गैर सायल का कृत्य धारा 2(ख) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के अंतर्गत गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः उक्त अपराधी को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत कार्यवाही कर जिला नागौर से निष्कासित किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

2-सायल द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैर सायल की ओर से दिनांक 27-12-17 को श्री ओमप्रकाश सेन अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया तथा जवाब दिनांक 03.05.18 को पेश किया गया। प्रकरण में सायल द्वारा अपने इस्तगासे के समर्थन में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 17.07.10 की फोटोप्रति, अंतिम सूचना रिपोर्ट दिनांक 17.07.10 की फोटोप्रति, न्यायालय सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं मु. न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर के प्रकरण सं. 314/10 के निर्णय दिनांक 21.7.10 की फोटोप्रति, प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 9.6.14 की फोटोप्रति, अंतिम सूचना रिपोर्ट दिनांक 9.6.14 की फोटोप्रति तथा न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर के प्रकरण सं. 2701/17 के निर्णय दिनांक 25.09.17 की फोटोप्रति तथा गैर सायल की ओर से श्री राम हॉस्पिटल जोधपुर के डिस्चार्ज टिकट की फोटोप्रति, भूतडा हेल्थ केयर सेन्टर की फोटोप्रति तथा राजस्थान मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी राजकीय चिकित्सालय नागौर के डिस्चार्ज टिकट की फोटोप्रति पेश की गई।

3-सायल की ओर से बतौर शहादत श्री भंवरलाल कानि. नं. 1189, श्री सोहनलाल डूकिया सेवानिवृत्त ASI तथा श्री रामेश्वरलाल सारस्वत ASI के बयान कलमबद्ध करवाये गये तथा बचाव पक्ष में गैरसायल के बयान कलमबद्ध करवाये गये।




अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
नागौर

4-गैर सायल के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। इस्तगासा के अनुसार ताराचंद पुत्र पूसाराम जाति माली निवासी नया दरवाजा, नागौर पुलिस थाना कोतवाली नागौर जिला नागौर का निवासी है। जो जुआ सट्टा की खाईवाली करते बार-बार दस्तायाब किया जाकर न्यायालय में चालान पेश किये गये हैं, गैर सायल जुआ सट्टे करने का अभ्यस्त है तथा वर्ष 2010 से 2017 तक जुआ सट्टा की गतिविधियों में निरंतर सक्रिय रहता आया है। इसका नागौर व आस पास के इलाकों में दशहत्त व आतंक फैलाया हुआ है। उक्त गैर सायल का इलाका हाजा में स्वच्छंद विचरण करना एवं निवासरत रहना उचित नहीं है। गैर सायल ताराचंद पुत्र पूसाराम उम्र 57 वर्ष जाति माली निवासी नया दरवाजा, नागौर पुलिस थाना कोतवाली नागौर जिला नागौर का कृत्य धारा 2(ख) राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के अन्तर्गत गुण्डा की परिभाषा में आता है। उक्त अपराधी को धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत जिला नागौर से निष्कासित किये जाने हेतु निवेदन किया गया। जबकि वकील गैरसायल द्वारा कथन किया गया कि उपरोक्त आरोप बेबुनियाद विधि विरुद्ध एवं निराधार है। प्रार्थी एक शांतिप्रिय नागरिक है जो मजदूरी पेशा कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता आ रहा है। इसके साथ प्रार्थी एक दिल का मरीज है। पिछले करीब 5-6 साल से दिल का इलाज चल रहा है। प्रार्थी को एक दो बार दिल का दौरा भी पडा है। प्रार्थी पर गुण्डा होने का आरोप लगाया गया है जबकि प्रार्थी ने ऐसा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। जिससे कि समाज में आम नागरिकों को भय व आतंक प्रार्थी मुलजिम की तरफ से उत्पन्न हो। केवल मात्र 13 आरपीजीओ का अपराध गुण्डा एक्ट की परिभाषा में नहीं आता है। पुलिस ने केवल मात्र अपने लोकल एक्ट के टारगेट को पूरा करने के उद्देश्य से प्रार्थी मुलजिम के खिलाफ झूठे 13 आरपीजीओ के मुकदमे दर्ज किये गये थे। उक्त मुकदमे की अन्वीक्षा से बचने के लिये व दिल का मरीज होने की वजह से प्रार्थी ने मुलजिम के दबाव में आकर जुर्म स्वीकार कर उपरोक्त अपराध स्वीकार कर पत्रावलियां निरस्त करवायी है। जिससे यह कतई साबित नहीं हो जाता है कि प्रार्थी मुलजिम एक गुण्डा है एवं उक्त प्रकरण गुण्डा नियंत्रण एक्ट का झूठा प्रार्थी मुलजिम के खिलाफ दर्ज किया गया है जो निरस्त किया जाकर प्रार्थी को बरी किया जाना उचित एवं न्याय संगत है तथा सायल द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात पर प्रदर्श होना आवश्यक है लेकिन सायल द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर प्रदर्श नहीं करवाये गये हैं।

5-बहस का मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। राज. गुण्डा अधिनियम, 1975 की धारा 2(ख) के तहत गुण्डा की परिभाषा दी गई है, जिसे निम्नानुसार उद्धरित किया जा रहा है-

2 (ख) "गुण्डा" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो :-

1. या तो स्वयं या किसी गैंग के सदस्य या मुखिया के रूप में भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 45 के अध्याय 16, अध्याय 17 अध्याय 22 के अधीन या भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 290 से 294 के अधीन दण्डनीय अपराधों का कमीशन अभ्यासतः कारित करता है, या कारित करने का प्रयास करता है या दुष्प्रेरण करता है; अथवा
2. महिलाओं और लड़कियों के अनैतिक व्यवसाय का उन्मूलन अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्यांक 104) के अधीन दोषसिद्ध किया गया हो; अथवा
3. राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 (1950 का राजस्थान अधिनियम संख्यांक -11) के अधीन दो से अन्यून बार दोषसिद्ध किया गया हो; अथवा
4. अफीम अधिनियम 1878 (1878 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 1) के अधीन दो से अन्यून बार दोषसिद्ध किया गया हो; अथवा



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
नागौर


5. राजस्थान सार्वजनिक जुआ अध्यादेश 1949 (1949 का राजस्थान अध्यादेश संख्याक 48) के अधीन दो से अन्यून बार दोषसिद्ध किया गया हो; अथवा
6. महिलाओं या लड़कियां को अभ्यासतः अशिष्ट टिप्पणी करता या छेड़ता हुआ पाया गया हो; अथवा
7. हिंसात्मक कार्यों या बल प्रदर्शन द्वारा विधि पालक लोगों को अभित्रासित करने का अभ्यासी पाया गया हो; अथवा
8. जो सार्वजनिक स्थानों पर दंगा या शांति भंग करने या बलवा करने का अभ्यासी हो या बलपूर्वक चन्दे का संग्रहण करने का या जो उनो या अन्य के अवैध आर्थिक फायदे के लिए लोगों को धमकी देने का अभ्यासी दो या जो व्यक्तियों अथवा सम्पत्ति का संत्रास, खतरा या नुकसान करने का अभ्यासी हो।

6-पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अध्ययन से मैं पूर्ण सन्तुष्ट हूँ कि गैर सायल आदतन जुआरी प्रतीत होता है। जो धारा 2(ख) (5) के अनुसार 2 बार दोष सिद्ध किया जा चुका है तथा अपने अवैध आर्थिक फायदे के लिए अन्य व्यक्तियों एवं लोगों की सम्पत्ति को सत्रांश, खतरा या नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से अभ्यासित अपराधी होने से राज. गुण्डा अधिनियम की धारा 2(ख) के तहत गुण्डा की परिभाषा में आता है। गैर सायल के उक्त कृत्यों से कस्बा नागौर व आस-पास के क्षेत्र में असामाजिक तत्वों की गतिविधियां बढ़ने तथा क्षेत्र में शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका बनी हुई है। अतः गैर सायल का जिला नागौर में स्वच्छन्द विचरण करना व निवासरत रहना कतेई उचित नहीं होने से इसका इलाका हाजा से निष्कासन किया जाना ही उचित है।

#### आदेश

ताराचंद पुत्र पूसाराम उम्र 57 वर्ष, जाति माली निवासी नया दरवाजा, नागौर पुलिस थाना कोतवाली नागौर जिला नागौर का कृत्य धारा 2(ख) राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के अन्तर्गत गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः उक्त अपराधी को धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही कर जिला नागौर से दो माह तक निष्कासन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं जिला बीकानेर के नोखा थाने में अपनी गतिविधियों को दर्ज करवाएं तथा सूचना इस न्यायालय को दें। आदेश की पालना हेतु निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक नागौर/ बीकानेर को भिजवाई जावे।

7-निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।



(मनोज कुमार)  
अति. जिला मजिस्ट्रेट नागौर